कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

Phone No.☎ 07856-252441 Fax No. 07856-252441 Email: actd.dantewada@nic.in

//संक्षिप्त विज्ञापन सूचना //

क्रमांक/ 965 /आ.वि./स्था./भर्ती/2023-24, दन्तेवाड़ा, दिनांक 12/05/2023

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/ एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 3.05.2023 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली के आदेश द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप जारी निर्देश तथा कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के द्वारा जारी निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभाग अन्तर्गत जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किए जानें हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीट पोस्ट के माध्यम से दिनांक **26.05.2023** को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किए जाते है। नियत तिथी के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :-

क्र.	श्रेणी	पदनाम	वेतनमान्	आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की स्थिति				
				अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तृतीय श्रेणी	डाटा एंट्री ऑपरेटर	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 06	02	0	0	0	02
2		सहायक ग्रेड - 03	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 04	01	0	0	0	01
3		वाहन चालक	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 04	01	0	0	0	01
4	चतुर्थ श्रेणी	नियमित भृत्य	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 01	01	0	0	01	02

टीप :-

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के विषयांकित ज्ञापन में निहित निर्देशानुसार उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
3. उपरोक्त नियुक्तियों में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत् परिवीक्षा अवधि में क्रमशः प्रथम वर्ष वेतनमान् के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत् तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा।

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट www.Dantewada.gov.in या कार्यालयीन सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

आवेदन हेतु पता :- कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 26.05.2023 को अपरान्ह 5.30 बजे तक

अपर कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

निरंतर...2..पर

क्रमांक/ 265 /आ.वि./स्था./भर्ती/2023-24, दन्तेवाड़ा, दिनांक 12/05/2023

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की ओर सादर सूचनार्थ।
4. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहायक संचालक जनसम्पर्क, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने संबंधित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा को जारी विज्ञापन की प्रति सहित जिले के वेबसाईट में अपलोड करने संबंधी कार्यवाही हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(आदिवासी विकास शाखा)

Phone No.☎ 07856-252441 Fax No. 07856-252441 Email: actd.dantewada@nic.in

//विज्ञापन सूचना //

क्रमांक/ 265A /आ.वि./स्था./भर्ती/2023-24, दन्तेवाड़ा, दिनांक 12/05/2023

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/ एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 3.05.2023 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली के आदेश द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप जारी निर्देश तथा कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/सा.स्था.3/भर्ती-24/2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के द्वारा जारी निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभाग अन्तर्गत जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किए जानें हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीट पोस्ट के माध्यम से **कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा** के पते पर दिनांक **26.05.2023** को कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किए जाते है। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। रिक्तियों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :-

क्र.	श्रेणी	पदनाम	वेतनमान्	आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की स्थिति				
				अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तृतीय श्रेणी	डाटा एंट्री ऑपरेटर	वेतन मैट्रिक्स लेवल - 06	02	0	0	0	02
2		सहायक ग्रेड - 03	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 04	01	0	0	0	01
3		वाहन चालक	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 04	01	0	0	0	01
4	चतुर्थ श्रेणी	नियमित भृत्य	वेतन मेट्रिक्स लेवल - 01	01	0	0	01	02

(1) पदवार भर्ती हेतु योग्यता :-

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या	वेतनमान	वर्गवार	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	सहायक ग्रेड-03	01	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 वेतन मेट्रिक लेवल 04	अ.ज.जा.	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक पाठ्क्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र। (3) कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।) (4) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्युटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।

निरंतर...2..पर

1	2	3	4	5	6
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400 वेतन मेट्रिक लेवल 06	अ.ज.जा.	(1) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं परीक्षा एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय से त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। (2) डाटा एन्ट्री ऑपरटेर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र। (3) मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्युटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन गति 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।
3	वाहन चालक	01	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 वेतन मेट्रिक लेवल 04	अ.ज.जा.	(1) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण (आठवीं पास) का प्रमाण पत्र। (2) हल्का वाहन चालक का वैद्य अनुज्ञा पत्र (ड्राईविंग लायसेंस) धारक हो जिसमें आवेदक के विरूद्ध कोई बात दर्ज न हो धारक हो। साथ ही भारी तथा हल्के वाहन चालाने की योग्यता हो। (3) अन्य योग्यताएं :-पहाड़ी एवं मैदानी दोनो क्षेत्रों में वाहन चलाने का पूर्व अनुभव आवश्यक
4	भृत्य नियमित	02	15600-49400 ग्रेड वेतन 1300 वे.मै.ले. 01	01 अनारक्षित/ 01 अ.ज.जा.	(1) छ.ग.शासन से मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।

नियम एवं निर्देश :-

1. उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के विषयांकित ज्ञापन में निहित निर्देशानुसार उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
3. उपरोक्त नियुक्तियों में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत् (क) परिवीक्षा अवधि में क्रमशः प्रथम वर्ष वेतनमान् के न्यूनतम का 70 प्रतिशत्, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत् तथा तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा। परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत् अन्य कर्मियों की भांति उन्हे प्राप्त होंगे। (ख) परिवीक्षा की समाप्ति पर, ज बवह सेवा या पद पर स्थाई किया जाता है तब उक्त पद का वेतन के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जावेगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। निवास के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जिले के निवासी को प्राथमिकता दी जावेगी।
5. आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सक्षम कार्य का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र के आधार पर पदवार पृथक-पृथक अनुभव का अंक दिया जावेगा।
6. चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा।

(2) आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश के अधीन दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम

निरंतर...3....पर

18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) पात्रता की अन्य शर्ते :-

1. रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन की प्रति प्रस्तुत नही किया जाता है तो उन्हे नियुक्ति पत्र जारी के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. पद क्रमांक 01 से 03 तक दर्शित पदों पर कौशल परीक्षा/इंटरव्यु के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
3. आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर) अन्य वांछित प्रमाण-पत्र स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा।
4. अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
5. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
6. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
7. **अनर्हताः-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

   1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी। परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

   2) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

   3) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   4) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं दिया जावेगा।
9. तृतीय श्रेणी पदों के लिए उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा ली जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निरंतर...4..पर

10. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. आवेदन में दिये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटी त्रुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।

12. अभ्यर्थी के चयन उपरान्त यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

13. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।

14. **प्रतिक्षा सूचीः-** प्रतिक्षा सूची समिति द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।

15. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

16. आवेदक को आवेदन के उपर पदनाम एवं वर्ग का उल्लेखित कर उपरोक्त पते पर डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

17. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वे विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। लेंवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटी सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण आवेदन को अस्वीकार एवं निरस्त किया जा सकेगा जिसकी जवाबदारी संबंधित आवेदक की होगी। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता, विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होना चाहिए।**

विज्ञापन का विस्तृत विवरण जिले के वेबसाईट www.Dantewada.gov.in या कार्यालयीन सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास, दन्तेवाड़ा

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

<u>प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें</u>

पद क्रमांक	:–..
आवेदित पद का नाम	:–..
वर्ग (जाति)	:–..

नवीनतम पासपोर्ट फोटो

प्रति,

कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा)
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

1.	आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में)	: ....
	(अंग्रेजी में)	: ....
2.	पिता / पति का नाम	: ....
3.	अ. जन्मतिथि अंको में	: ....
	ब. शब्दों में	: ....
4.	दिनांक 01.01.2023 को आयु	: वर्षः–..................माहः–..................दिनः–..............
5.	लिंग (संकेतांक)	
	पुरूष–1, महिला–2 अन्य–3	:..
6.	**अ.** पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	: ....पिन..............................
	ब. स्थायी पता	: ....पिन.............................. मोबाइल नम्बर ....
7.	रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	: ....
8.	क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	: ....
9.	क्या आवेदक छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. राज्य के लिये घोषित अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां / नहीं (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	: ....
10.	क्या आवेदक विकलांग है? हां / नहीं (यदि हां तो विकलांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)	: ....
11.	विकलांगता का प्रकार व प्रतिशत	: ....
12.	क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां / नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)	: ....
13.	क्या आवेदक विवाहित है? हां / नहीं	: ....
14.	यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि	: ....
15.	जीवित बच्चों की संख्या	: ....

निरंतर....2..पर

16. वाहन चालक पद हेतु
अ. लाइसेंस का प्रकार एवं वैद्यता दिनांक : ....

17. क्या अधिकतम आयु सीमा छूट : ....
चाहते हैं? यदि हां, तो किसी श्रेणी से उल्लेख करें.

18. **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (आवेदित पद हेतु उल्लेखित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यतानुसार)**

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / वि.वि. का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत

19. अ.क्या आवेदक शासकीय / अर्द्धशासकीय : ....
संस्थान में सेवारत है? ....
हां / नहीं (यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ....
जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
संलग्न करें)

ब.वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :..
यदि हो तो,

20. समकक्ष पद का कार्य अनुभव यदि हो तो :..
विवरण दें (केवल शासकीय एवं अर्द्धशासकीय ....
संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य) ....

21. क्या आवेदक / आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक
प्रकरण किसी पुलिस थाने / न्यायालय में अनुसंधान / ....
विचारण हेतु लंबित है,अथवा किसी न्यायालय में निराकृत
हो चुका है? हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित
प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट
रूप से उल्लेख करें।

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (छात्राप्रति स्व–प्रमाणित होना चाहिए)

1. .... 5. ....
2. .... 6. ....
3. .... 7. ....
4. .... 8. ....

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम ....